

pc 208
17/12/24

विषय - पंजी 2 का ऑलाईन प्रविष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं आवेदक/आवेदिका तुलसी गांध्या पिता/पति रतन चन्द्र गांध्या थाना-चन्दनकियारी, अंचल - चन्दनकियारी, जिला - बोकारो का निवासी हूँ। निम्नलिखित भूमि का मेरे पिताजी के नाम लगान रसीद निर्गत है परंतु ऑन लाईन में पेजी-11 अपलोड नहीं रहने के कारण लगान रसीद नहीं निर्गत हो रहा है। अनुरोध है कि पेजी 2 को ऑन लाईन करने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

01. मौजा का नाम व थाना नं० - रसावडा 104
02. जमाबंदी संख्या - 921
03. जमाबंदी रैयत का नाम - बामा देव माधवा
04. खाता नं० - 01
05. प्लॉट नं० - 1412, 1414, 1415, 1416, 1454
06. रकबा - 1 एकड़ 59 अंश

आवेदक का हस्ताक्षर

ऑनलाईन पंजी-॥ मैं सुधार हेतु राजस्व उप-निरीक्षक, एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :-

महाशय,

भवदीय निर्देश के आलोक में आवेदन पत्र अंकित तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा स्थलिय निरीक्षण किया गया एवं हल्का कार्यालय के राजस्व अभिलेखों से मिलान किया गया तदोपरान्त पाया कि संबंधित जमाबंदी संख्या..... फटा हुआ है/पंजी 2 में कायम है परंतु ऑन लाईन किये जाने के क्रम में छुट गया है। मान्य हो तो लगान के आधार निम्नांकित भूमि को ऑन लाईन करने हेतु अनुशंसा किया जाता है -

मौजा व थाना नं०	भाग संख्या/पृष्ठ सं०	जमाबंदी रैयत का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	होल्डींग नं०

खाता प्लॉटवार विवरण :-

[illegible]

अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन :-

राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन जाँच किया एवं सही पाया ऑन लाईन पोर्टल में पंजी 2 खोलने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उप निरीक्षक का हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पंजी 2 खोलने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास से अनुमति प्राप्त करने हेतु अभिलेख खोलकर भेजे।

अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।